है।

26/10/2020

10/11/2020 पत्रावली पेश हुई। बैकुण्ठ नाथ शर्मा वकील ने कार्यवाही हेतु बाद को जरिये विद्युत अधिनियम करने हेतु पेश किया।

अतः बाड़ी अधिकारी अपना बाद आगे चलाना नहीं चाहता है पत्रावली जरिये विद्युत अधिनियम की जाती है पत्रावली किशोर कुमार कानूनगो दर्ज रजिस्टर दफ्तर दाखिल हो।